हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)

Notification No.: 7148/EW/A-5 Dated:15-09-2023

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) के पायलट स्टडी हेतु स्कूलों को किया आमंत्रित।

शिक्षा को विकास की धुरी मानते हुए हरियाणा प्रदेश में छात्र–छात्राओं को उत्तम गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) के साथ पायलट स्टडी हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) हो चुका है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त राजकीय एवं अराजकीय विद्यालय कक्षा 12वीं तक के कार्यक्रमों के लिये एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 8वीं तक के कार्यक्रमों के लिये एवं इन विद्यालयों में अध्यापन करवाने वाले शिक्षक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण लेने के लिये विद्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिससे अध्ययन/अध्यापन के स्तर में सुधार के साथ–साथ विद्यार्थियों को भी उत्तम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा सकती है।

इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिये बोर्ड की अधिकारिक बैवसाईट पर लॉगिन करते हुये संबंधित स्कूल मुखिया आवदेन कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों के तहत विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय मानक विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में अग्रिम शिक्षण हेतु लाभ मिलेगा एवं अध्यापकों के लिये व्यवसायिक विकास के अवसर मिलेंगे तथा नवीनतम शैक्षणिक कौशल जानने का अवसर मिलेगा।

इस संबंध में स्कूल मुखियाओं को निर्देशित किया जाता है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुने गये विद्यालयों एवं उनके अध्यापकों को निःशुल्क अध्ययन/प्रशिक्षण करवाया जायेगा एवं पायलट प्रोजेक्ट की अवधि समाप्त होने पश्चात निर्धारित शुल्क की अदायगी उपरांत ही संबंधित संस्था/अध्यापक इस कार्यक्रम से जुड़े रह सकते हैं। सभी संस्थान मुखिया बोर्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध सभी दिशा–निर्देश एवं शुल्क संरचना का अवलोकन करते हुये आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ता0
सचिव